

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या
15/89/2023

रजि0 नम्बर
2023/477

प्रवेश तिथि
17.04.2023

निर्णय दिनांक
19.01.2026

1. प्रवीण तंवर पुत्र श्री सहीराम, जाति मेघवाल, निवारी ग्राम माणकी तहसील रामगढ़ जिला अलवर, राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर राजस्थान।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यान्वयन ईकाई सोहना (हरियाणा)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित:—

01. श्री जगदीश चन्द्र सतीजा
02. श्री मोहनसिंह चौधरी

—वकील प्रार्थी

—वकील अप्रार्थी



—:: निर्णय—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना राक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) (1) (2) एवं भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवंम प्रारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा राशि मय म्याज प्रदान किये जाने बाबत पेश किया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब प्राप्त किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई तथा वकील उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य की जिला अलवर में एन. एच. 148—एन के तहत 79.395 से 149 किलोमीटर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लाईन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए भारतीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई तथा जिन्हे दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के अलवर संस्करण में दिनांक 15-01-2019 को प्रकाशित करवाया गया। तत्पश्चात् आक्षेपों का निस्तरण कर अधिनियम की धारा 3—घ के अनुसार भूमि को केन्द्र सरकार में निहित हो जाने की घोषणा की गई। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण व अवाप्ति कार्यवाही के लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिकृत विभाग हैं तथा प्रस्तावित योजना में अवाप्त भूमि का मूल्यांकन प्रचलित बाजार दर के आधार पर नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है एवं मुआवजे का मूल्यांकन नियमानुसार विशेषज्ञों से कराया जाना विधि के अनुरूप है। प्रार्थी की स्वामित्व की आराजी एवं रिहायशी संपत्ति की अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत की गई है तथा उक्त अधिनियम के तहत जो अवाप्ति की कार्यवाही की जाती है वह भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और प्रारदर्शिता का अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 105 के तहत चतुर्थ शेड्यूल में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अवाप्त भूमि का मुआवजा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जायेगा एवं इस बाबत केन्द्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश भी दिनांक 31.12.2014 को पारित किया गया है कि उक्त मुआवजा सम्बन्धी प्रावधान दिनांक 01 जनवरी 2015 से लागू किए जायेंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (7) में जो मुआवजा तय करने का प्रावधान है, वे ऑवर राईड हो चुके हैं तथा उक्त मुआवजा के निर्धारण फेयर कम्पनरोशन्सा एक्ट, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लैण्ड एक्व्यूजिशन एक्ट 2013 की धारा 26 में अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारित किए जाने की प्रक्रिया दी गई है तथा धारा 29 में भूमि के ऊपर निर्मित परिसर, बोरिंग इत्यादि की कीमत का मूल्यांकन के प्रावधान के बारे में बताया

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

गया है। उक्त प्रावधान के मुताबिक भवन, परिसर, बोरिंग इत्यादि का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम इंजीनियर अथवा संबंधित विशेषज्ञ की सेवाएँ ली जाएँगी। मूल्यांकन के पश्चात् कुल मुआवजा राशि फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लैण्ड एक्वजिशन एक्ट 2013 के प्रावधानों के मुताबिक अवाप्तशुदा भूमि के निर्धारित मुआवजे पर 100 प्रतिशत सोलेशियम/तोषण दिये जाने का प्रावधान है तथा धारा 80 के मुताबिक प्रार्थी 9.1 व 15.1 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1704 रकबा 0.47 है, 1705 रकबा है व 1706 रकबा 0.28 हेक्टर कित्ता 3 किरम बारांगी सोयम सिंचित आराजी ग्राम मूनपुर करगला तहसील रागगढ जिला अलवर में स्थित है, जिस आराजी पर ही प्रार्थी द्वारा रिहायश हेतु एवं गवेशियान तथा कृषि उपकरण आदि रखने हेतु बेशकीमती धनराशि खर्च की जाकर मकान बना रखा था तथा चारदीवारी भी कराई हुई थी। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1704 रकबा 47 ऐयर में से 0.3365 है का मुआवजा रूपये 15,32,349/- रूपये, खसरा नंबर 1705 में 0.3479 है का मुआवजा 15,84,262/- रूपये तथा खसरा नंबर 1706 में 0.1876 है का मुआवजा रूपये 8,54,290/- रूपये निर्माण सहित अवाप्त राशि सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर राजस्थान द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है किन्तु मकान, चारदीवारी का अवार्ड पारित नहीं किया गया है। जबकि कानूनन मकान व चारदीवारी का भी अवार्ड पारित कर राशि प्रार्थी को दिलायी जानी चाहिये थी। उपरोक्त पूरक अवार्ड दिनांक 08-03-2019 में भी अनेक कानूनी एवं तकनीकी खामियां की गई हैं तथा प्रार्थी की अवाप्तशुदा आराजी का भी मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं करके विधिक प्रावधानों के विपरीत मूल्यांकन किया गया है तथा उसमें भी इल्का पटवारी द्वारा गलत प्रकार से रिपोर्ट बनाकर दी गई है, जो रागी कार्यवाही अपार्थी रख्या एवं अन्य राजस्व कर्मचारियों व अधि कारियों द्वारा मौके की स्थिति एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत की गई है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित पूरक अधिनिर्णय/आदेश दिनांक 08-03-2019 व उसके पश्चात पारित संशोधित अधिनिर्णय/आदेश दिनांक 17-10-2019 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। जबकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ना तो प्रार्थी को नोटिस दिया गया, न ही सुनवाई का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर व मौका प्रदान किया गया। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारी कानूनी त्रुटि की गई है। अबल तो सक्षम प्राधिकृत अधिकारी को पूर्व अधि निर्णय दिनांक 08-03-2019 में संशोधन करने का अधिकार नहीं था। क्योंकि प्रार्थी की भूमि एवं उस पर निर्मित मकान, चारदीवारी, पेड़ पौधे आदि को भूमि अर्जन पुर्नवासन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 एवं नेशनल हाईवे अधिनियम, 1956 के तहत अधिग्रहण किया गया है, जिस कारण उक्त अवार्ड में संशोधन करने का क्षेत्राधिकार माननीय आबीट्रेटर जिला कलक्टर अर्थात् न्यायालय श्रीमान को है। माननीय प्राधिकृत अधिकारी को तो उक्त 2013 के अधिनियम की धारा 33 के तहत लिपिकीय त्रुटि को ही दुरुस्त करने का अधिकार है, जिससे यह स्पष्ट है कि माननीय सक्षम प्राधि कृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा पारित संशोधित अधि निर्णय दिनांक 17-10-2019 क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर किए जाने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

उक्त प्रकरण सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर द्वारा पारित पूरक अधिनिर्णय दिनांक 08-03-2019 व उसके पश्चात संशोधित अधिनिर्णय दिनांक 17-10-2019 के विरुद्ध नेशनल हाईवे अधिनियम, 1956 की धारा 3-जी (5) के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। भूमि अर्जन पुर्नवास, पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसार संपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण अधिसूचना के जारी किए जाने के दिन को ही किया जाना चाहिये। जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। यदि उनके द्वारा ऐसा किया जाता तो प्रार्थी को अपने अधिनिर्णय में पारित मुआवजा राशि पर 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि के साथ ब्याज राशि भी दिलायी जाती। जिस कारण प्रार्थी की आराजी पर स्थित निर्माण पेड़ पौधे, बोरिंग की राशि काफी अधिक होती। जिससे भी उक्त दोनों अवार्ड निरस्त होने योग्य हैं तथा नवीन अवार्ड पारित करते हुए प्रार्थी को उसकी आराजी पर स्थित निर्माण, पेड़ पौधे व बोरिंग आदि की सेवा दिलवाया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। उक्त प्रार्थना पत्र नेशनल हाईवे अधिनियम, 1956 धारा 3जी (5) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त आबीट्रेटर महोदय के सामक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त अधिनियम में कोई समयावधि निश्चित नहीं है। उसके बावजूद भी उक्त प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उसकी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1704, 1705 व 1706 किरम बारांगी सोयम सिंचित आराजी ग्राम मूनपुर करगला तहसील रागगढ जिला अलवर पर स्थित मकान, चारदीवारी का उचित मुआवजा भूमि अर्जन पुर्नवासन, पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के वर्णित प्रावधानों के तहत उचित दर से दिलाया जावे एवं प्रार्थी की आराजी के संबंध में

अप्रार्थी सं० 1 द्वारा पारित पूरक अधिनिर्णय दिनांक 08-03-2019 एवं संशोधित अधिनिर्णय दिनांक 17-10-2019 को निररत फरमाया जावे तथा पुनः संशोधित अधिनिर्णय/अवार्ड पारित किए जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब बिन्दुवार निम्न प्रकार से है—

1. इस कार्यालय से कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
2. से 4. बिन्दु में केवल नियमों का उल्लेख किया गया है, इस कार्यालय से कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
5. प्रार्थी द्वारा मध्यस्थता का वाद दिनांक 17.04.2023 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि दिल्ली बडौदरा एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूर्ण होकर दोनों तरफ वाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कर दिया गया एवं जन सामान्य के आवागमन हेतु माह फरवरी 2023 को चालू कर दिया गया था, ऐसी रिथिति में वादी के कथन पर गौके की जांच संभव नहीं है। वादी द्वारा इस परियोजना के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति कार्यवाही 2018 से प्रारम्भ हो चुकी थी किन्तु वादी ने उक्त वाद 05 वर्ष बाद जानबूझकर ऐसी समय पर प्रस्तुत किया है जब उराके अगिकथन की जांच संभव नहीं हो सकती है। अतः यह बिन्दु प्रार्थी के स्तर से ही प्रमाणित किये जाने योग्य है।
6. बिन्दु संख्या 5 के अनुसार वादी द्वारा सिद्ध किये जाने योग्य है।
7. बिन्दु संख्या 5 के अनुसार वादी द्वारा सिद्ध किये जाने योग्य है।
8. संबंधी अवाप्त भूमि पर अवस्थित परिसंपत्ति एवं वृक्षों के प्रतिकर का अधिनिर्णय जारी किया जा चुका है। शेष कथन अस्वीकार है, इस कार्यालय की टिप्पणी बिन्दु संख्या 6 एवं 7 के अनुसार है।
9. जैसाकि वादी द्वारा इस बिन्दु में अंकित किया गया है कि पूर्व अधिनिर्णय दिनांक 08.03.2019 को संशोधित करने का इस कार्यालय को अधिकार नहीं था, यदि इसी अगिकथन को लागू किया जावे तथा पश्चातवर्ती पारित संशोधित अधिनिर्णय दिनांक 17.10.2019 को शून्य घोषित कर दिया जावे तो प्रार्थी से आधिक्य राशि रूपये 9,71,899/- की वसूली योग्य बनती है। वादी का परिसंपत्ति कथन प्रमाणित होना संभव नहीं है। बिन्दु संख्या 5 में स्पष्ट उल्लेख किया जा चुका है।
10. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
11. बिन्दु संख्या 9 के अनुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।
12. इस कार्यालय से कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। माननीय न्यायालय से संबंधित है।
13. इस कार्यालय से कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। माननीय न्यायालय से संबंधित है।
14. इस कार्यालय से कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। माननीय न्यायालय से संबंधित है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य निराधार एवं असत्य है तथा उसे विहित नियमों के अनुसार उचित राशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थी द्वारा अंकित बिन्दु सारहीन होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से लिखित जवाब/बहस निम्न प्रकार प्रस्तुत की है—

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहतगठित एक संविधिक निकाय है जिसको कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जन साधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 79.395 कि.मी. से 149.000 कि.मी. तक के भूखण्ड का निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचारन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2306 (अ) दिनांक 05.06.2018 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर को राक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के अलवर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 79.395 कि.मी. से 149.000 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (अ) की उपधारा (1) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 426 (अ), दिनांक 24.01.2019 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 24.01.2019 को प्रकाशित की गयी। जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं दि टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 01.02.2019 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरुद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के



जिला कलक्टर
अलवर (राजस्थान)

नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियों सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-ए की अधिसूचना का सार उक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के उपरान्त ग्राम गुजरखोहरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर की अर्जित भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3-C के अन्तर्गत आपत्तियां प्रस्तुत की गयी, जिनकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई की जाकर आपत्तियों को अननुज्ञात (Reject) किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन के 79.395 कि.मी. से 149.000 कि.मी. के सम्यन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3 C के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-D के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6264 (अ) दिनांक 21.12.2018 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 21.12.2018 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 05.07.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित निम्न भूमि:-

सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1704	निजी	वारानी सोयम	0.3365
1705	निजी	वारानी सोयम	0.3479
1705	निजी	वारानी सोयम	0.1876

वाके ग्राम मूनपुरकरमला तहसील रामगढ़ जिला अलवर सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहत हो चुकी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3A, B, C, D, E, F, G एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर सम्बन्धित खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण विधि के प्रावधानों के अनुसार अधिनिर्णय आदेश क्रमांक 1 दिनांक 08.03.2019 एवं संशोधित अधिनिर्णय-आदेश दिनांक 17.10.2019 के द्वारा किया गया। प्रार्थी कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 क की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय-पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी.एल.सी. दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया। जो कि निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम	अधिकतम दर के 50 प्रतिशत विक्रय पत्रों की औसत दर (प्रति है०)	धारा 3A की दिनांक को प्रभावी डी एल सी दर (प्रति है०)			
				रोड के निकट		रोड से दूर	
				सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
1	रामगढ़	मूनपुरकरमला	16,98,300/-	20,47,320/-	15,24,600/-	16,88,220/-	11,21,940/-
अर्जित भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु चयनित दर				20,47,320/-	15,24,600/-	16,88,220/-	11,21,940/-

उपरोक्तानुसार अर्जित भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु धारा 3A की दिनांक की प्रभावी असिंचित भूमि की रोड से दूर की चयनित बाजार दर रूपये 11,21,940/- प्रति हैक्टेयर के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (G) में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तय करने सम्बन्धित प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी की उपधारा 1 व 2 के अनुसार भूमि का मुआवजा निर्धारण से पूर्व धारा 3डी की अधिसूचना की लोक सूचना जो कि

दैनिक समाचार पत्र के अंकों में प्रकाशित की गयी उक्त लोक सूचना द्वारा सम्बन्धित सभी हितवद्ध व्यक्तियों से धारा 3जी (3) व (4) के अन्तर्गत खंय या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गये। जिसके अन्तर्गत ग्राम गुजरखोहरा की अर्जित भूमि से सम्बन्धित भू-स्वागियों द्वारा दावे प्रस्तुत किये गये जिनका समक्षम प्राधिकारी द्वारा निरतारण किया जाकर अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में अवाई पारित कर दिया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय आदेश क्रमांक 6 (ए) दिनांक 17.10.2019 को पारित कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (G) के तहत उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (G) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवर्तारण और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की गौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किरम, सडक रीमा के पारा या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(H) (1) के तहत अवाई की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनवर्तारण अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3-क की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय-पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी.एल.सी. दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया।

भूमि अर्जन, पुनवर्तारण एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 की उपधारा-2 के अनुसार बाजार मूल्य पर गुणांक कारक के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग की अधिसूचना सं० प. 1(3) राज.6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा भूमि अर्जन, पुनवर्तारण और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 30) की धारा 26 की उपधारा (2) सपठित प्रथम अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (3) राज.6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है। वह निम्न अनुसार होगा:-

शहरी क्षेत्र से दूरी	गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे
0-10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

उपरोक्तानुसार ग्रामों की अधिनिर्णित भूमि के लिये गुणांक निम्न प्रकार निर्धारित की गयी:-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	निकटतम नगरपालिका	निकटतम नगरपालिका से दूरी (कि.मी.)	लागू गुणांक
अलवर	रामगढ	मूनपुरकरमला	फिरोजपुर झिरका (हरियाणा)	13.2	1.50

इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निकटतम नगर पालिका फिरोजपुर झिरका (हरियाणा) से दूरी (कि.मी.) 13.2 किलोमीटर मानते हुए 10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक के लिए 1.50 का गुणक लगाया जाकर अधिनिर्णय आदेश क्रमांक 1 दिनांक 08.03.2019 को पारित किया गया।

जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरणों से भिन्न क्षेत्रों के लिए नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका सीमा तक के क्षेत्र जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन के सगस्त वार्ड क्षेत्र सम्मिलित हैं, को शहरी क्षेत्र सीमा में माना जावेगा। उक्त के अनुपालन में तहसीलदार रामगढ से तहसील रामगढ में अर्जित भूमि की निकटतम नगरपालिका से दूरी की रिपोर्ट गांगी गयी। तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर के पत्रांक दिनांक 18.02.2019 व पत्रांक दिनांक 23.02.2019 द्वारा तहसील रामगढ में अर्जित भूमि की निकटतम नगरपालिका से दूरी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी:-

तहसील	ग्राम का नाम	निकटतम नगरपालिका	निकटतम नगरपालिका से दूरी (कि.मी.)	निकटतम नगरपालिका	निकटतम नगरपालिका से दूरी (कि.मी.)
रामगढ	मूनपुरकरमला	फिरोजपुर झिरका (हरियाणा)	13.2	नगरपरिषद-अलवर	32.16

उप सचिव शासन राजस्व विभाग (ग्रुप-6) राजस्थान के पत्र दिनांक उनके कार्यालय पत्रांक 1552 दिनांक 11.06.2019 के सन्दर्भ में मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि प्रश्नगत बिन्दू के संबंध में महाधिवक्ता महोदय से राय प्राप्त की गयी जिसके अनुसार राज्य में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 में निर्देशित शहरी क्षेत्र से तात्पर्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-26 (2) सपटित प्रथम अनुसूची के बिन्दु संख्या 2 के कम में गुणक निर्धारित करने के लिये राजस्थान राज्य की सीमाओं में स्थित नगरीय क्षेत्र से है।

उक्त के अनुपालन में जिला कलक्टर महोदय, अलवर द्वारा सम्बन्धित ग्रामों की अर्जित भूमि की मुआवजा राशि संशोधित करने हेतु पत्रावली पर निर्देशित किया गया है। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राम मूनपुरकरमला की अर्जित भूमि की संशोधित राशि नगरपरिषद अलवर से दूरी (कि.मी.) 32.16 किलोमीटर मानते हुए 30 कि.मी. से अधिक के लिए 2.00 का गुणक लगाया जाकर संशोधित अधिनिर्णय आदेश दिनांक 17.10.2019 को पारित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निकटतम नगर पालिका फिरोजपुर झिरका (हरियाणा) से दूरी (कि.मी.) 13.2 किलोमीटर मानते हुए 10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक के लिए 1.50 का गुणक लगाया जाकर अधिनिर्णय आदेश क्रमांक 1 दिनांक 08.03.2019 को पारित किया गया। जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरणों से भिन्न क्षेत्रों के लिए नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका सीमा तक के क्षेत्र जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन के समस्त वार्ड क्षेत्र सम्मिलित हैं, को शहरी क्षेत्र सीमा में माना जावेगा। उक्त के अनुपालन में तहसीलदार रामगढ से तहसील रामगढ में अर्जित भूमि की निकटतम नगरपालिका से दूरी की रिपोर्ट मांगी गयी। तहसीलदार, रामगढ, जिला अलवर के पत्रांक दिनांक 18.02.2019 व पत्रांक दिनांक 23.02.2019 द्वारा तहसील रामगढ में अर्जित भूमि की निकटतम नगरपालिका से दूरी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उप सचिव शासन राजस्व विभाग (ग्रुप-6) राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 16.10.2019 द्वारा जिला कलक्टर अलवर को उनके कार्यालय पत्रांक 1552 दिनांक 11.06.2019 के सन्दर्भ में मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि प्रश्नगत बिन्दू के संबंध में महाधिवक्ता महोदय से राय प्राप्त की गयी जिसके अनुसार राज्य में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 में निर्देशित शहरी क्षेत्र से तात्पर्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-26 (2) सपटित प्रथम अनुसूची के बिन्दु संख्या 2 के कम में गुणक निर्धारित करने के लिये राजस्थान राज्य की सीमाओं में स्थित नगरीय क्षेत्र से है। उक्त के अनुपालन में जिला कलक्टर महोदय, अलवर द्वारा सम्बन्धित ग्रामों की अर्जित भूमि की मुआवजा राशि संशोधित करने हेतु पत्रावली पर निर्देशित किया गया है। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राम मूनपुरकरमला की अर्जित भूमि की संशोधित राशि नगरपरिषद अलवर से दूरी (कि.मी.) 32.16 किलोमीटर मानते हुए 30 कि.मी. से अधिक के लिए 2.00 का गुणक लगाया जाकर संशोधित अधिनिर्णय आदेश दिनांक 17.10.2019 को पारित किया गया। उक्त मद में प्रार्थी द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाया है। विधि के प्रावधानानुसार माननीय न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारीत कर सकती है इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है व मात्र इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पारित अधिनिर्णय-आदेश क्रमांक 1 दिनांक 08.03.2019 संशोधित अधिनिर्णय आदेश दिनांक 17.10.2019 के क्षेत्राधिकार को चुनौति दी गयी है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। विधि के प्रावधानानुसार भारत सरकार द्वारा माननीय न्यायालय को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-G (5) के तहत गध्यस्थ नियुक्त किया गया है। माननीय न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारीत कर सकती है इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है व मात्र इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (G) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व अधिनियम की धारा 3(G) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण ¼Solatium), एवं RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानोंनुसार धारा 3-A के समाचार पत्र में प्रकाशन की

दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त राशि दी जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। यदि किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ कर रखा था तो उनको विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजे की दर कृषि भूमि की दर के हिसाब से ही दी गई है जो कि पूर्णतः सही व उचित है। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। यदि अवाप्त शुदा भूमि को बिना विधिवत रूपान्तरित करवाये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उसकी प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में लिया जा रहा है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है तथा ऐसे अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यावसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा अधिग्रहित भूमि का मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है जो विधि सम्मत एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई है।

अतः अप्रार्थीगण की ओर लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। राक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के राक्षम प्राधिकारी के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, रिकार्ड एवं मौके की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3A, B- C- D- E- F- G एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत पारित किया गया है वह विधि के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतः सही पारित किया गया।

वादी द्वारा अभिकथित विकसित भूमि की मांग निराधार है, जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में कोई प्रावधान न होने के कारण विचार योग्य नहीं है। उपर्युक्त बिन्दु 1 से 16 तक वादी किसी सुसंगत विधि से अपने वाद को पुष्ट एवं सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील उभयपक्ष की लिखित बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार भूमि वाके ग्राम मूनपुरकरमला तहसील रामगढ जिला अलवर के आराजी खसरा नं. 1704 रकबा 0.3365 है0, 1705 रकबा 0.3479 है0 एवं 1706 रकबा 0.1876 है0 भूमि की किस्म बारानी सोयम राष्ट्रीय राजमार्ग 148 एन एच दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस सिक्स लेन राजमार्ग में अवाप्त की गई। अवाप्ताधीन भूमि एनएच एक्ट 1956 की धारा 3ए के तहत प्रकाशन दिनांक 23.08.2018 को किया गया एवं 3डी अधिसूचना संख्या 6264(अ) दिनांक 21.12.2018 को प्रकाशन की गई। राक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा आराजी खसरा नं. 1704 रकबा 0.3365 है0, 1705 रकबा 0.3479 है0 एवं 1706 रकबा 0.1876 है0 भूमि की किस्म बारानी सोयम सड़क से दूर डीएलसी दर गुणांक के आधार पर मुआवजा राशि मय सोलेसियम व व्याज कुल राशि 39,70,901/- रूपयें का अवॉर्ड पारित किया गया। प्रार्थी उक्त मुआवजा राशि से सन्तुष्ट नहीं होने पर पुनः मूल्य निर्धारण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनानुसार प्रश्नगत आराजी खसरा नं. 1704 रकबा 0.3365 है0, 1705 रकबा 0.3479 है0 एवं 1706 रकबा 0.1876 है0 भूमि की किस्म बारानी सोयम पर पक्का मकान, चारदीवारी तथा पेडपौधे की कुल अवाप्त राशि 39,70,901/-रूपयें का राक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है, किन्तु मकान, चारदीवारी तथा पेडपौधे का अवॉर्ड पारित नहीं किया गया है। जबकि कानूनन मकान, चारदीवारी तथा पेडपौधे का अवॉर्ड पारित कर मुआवजा राशि प्रार्थी को दिलवाई जानी चाहिये थी। उपरोक्त पूरक अवॉर्ड दिनांक 08.03.2019 में भी अनेक कानूनी एवं तकनीकी खामियां की गई हैं। प्रार्थी की अवाप्तशुदा आराजी का भी मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं करके विधिक प्रावधानों के विपरीत मूल्यांकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय राक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के द्वारा पारित अवॉर्ड अधिनिर्णय-आदेश क्रमांक 6(A) दिनांक 17.10.2019 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नं. 1704 रकबा 0.3365 है0, 1705 रकबा 0.3479 है0 एवं 1706 रकबा 0.1876 है0 भूमि की किस्म बारानी सोयम के मुआवजा राशि का निर्धारण तत्समय डीएलसी दर एवं तहसीलदार लक्ष्मणगढ की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा मकान, चारदीवारी एवं पेडपौधे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा पारित अवॉर्ड 37(A) दिनांक 17.10.2019 के तहत अवाप्तशुदा भूमि एवं मकान, चारदीवारी एवं पेडपौधे की मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिया गया है। जिसमें प्रार्थी


जिला कलक्टर
अलवर

की आराजी का ही अवॉर्ड पारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 1956 की द्वारा 3जी के तहत आवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि की मौके की रिथति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उपपंजीयक से प्राप्त डीलएसी दर के आधार पर की गई हैं। सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि आवाप्त अधिकारी द्वारा तत्समय धारा 3ए के प्रकाशन दिनांक पर प्रचलित बाजार की डीलएसी दर रूपये 16,98,300/- प्रति हैक्टैयर एवं तहरीलदार की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा निर्धारित कर सोलेसियम 100 प्रतिशत एवं RFCTLARR ACT 2013 की द्वारा 69 के तहत बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाकर दिनांक 17.10.2019 को अवॉर्ड पारित किया गया। उक्त पारित अवॉर्ड में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिट्रेशन सारहीन होने पर खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत पुनः मूल्य निर्धारण किये जाने बाबत खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(
डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज०),
अलवर राजस्थान